चार गैगस्टर अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे

जिला ब्यूरो हसमत हुसैन खान

श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक धनञ्जय चौरसिया ने जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी इकौना संतोष कुमार के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गिलौला अश्वनी कुमार दूबे मय पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 67/2024 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती के सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण 1.रौआब उर्फ दहन पुत्र असगर सा0 अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती 2.आजम पुत्र छोटू उर्फ मो0 यूनुस नि0 अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती 3.हजरत अली उर्फ बन्दर पुत्र ताजिब अली नि0 अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती 4. मुस्तफा पुत्र इशहाक नि0 पैदाभीपुरवा दा0 बकसरिया थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को सिसवारा नदी घाट के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त रौआब उर्फ दहन पुत्र असगर सा0 अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक संगठित गिरोह है,जिनके सक्रिय सदस्य आजम पुत्र छोटू उर्फ मो0 यूनुस नि0 अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती ,हजरत अली उर्फ बन्दर पुत्र ताजिब अली नि0 अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती,मुस्तफा पुत्र इशहाक नि0 पैदाभीपुरवा दा0 बकसरिया थाना इकौना जनपद श्रावस्ती इनके द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा साथ में मिलकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए प्रतिबन्धित गोवंश को चोरी करके हत्या कर गोमांश को बेचना व परिवहन करने का जघन्य अपराध कारित किया जाता रहा है । गोवंध से सम्बन्धित थाना गिलौला पर मु0अ0सं0 312/2023 धारा 379 भादवि व 3/5/8 उ0प्र0 गोवंध निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया था । इनके विरूद्ध थाना गिलौला मे कई अन्य मुकदमे भी पंजीकृत हुए है ।

अपहरण मामले में पिता-पुत्र को 10 वर्ष की कारावास

- 2017 में चारा काटने गए दो किशोरों का किया था अपहरण
- पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मामला

श्रावस्ती। सात साल पहले दो किशोरों के अपहरण मामले में न्यायालय ने शनिवार को सजा सुनाई। मामले में आरोपित पिता पुत्र को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

इकौना थाने में 12 मई 2017 को दो किशोरों के अपहरण की शिकायत की गई थी। तहरीर मिलने पर बाद पुलिस ने शोभाराम शुक्ला पुत्र राममिलन उर्फ भिखू व उसके पुत्र राम कृपाल शुक्ला निवासीगण मिश्रीपुरवा थाना इकौना के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज किया। पुलिस की ओर से विवेचना की गई और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाई गई।